सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 14/2016

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारॉ (सायल)

बनाम

श्री भारतसिंह उर्फ राजा पुत्र पृथ्वीपाल सिंह निवासी लंका कॉलोनी बारॉ जिला बारॉ (राज.) (गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)

2– श्री हेमेन्द्र ओझा अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 15.3.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री भारतसिंह उर्फ राजा पुत्र पृथ्वीपाल सिंह निवासी लंका कॉलोनी बारॉ जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ मे वर्ष 2009 से 2015 के मध्य कुल 9 प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में यह व्यक्ति 02 प्रकरण अवैध हथियार में, 04 प्रकरण अवैध शराब में, 03 प्रकरण आम जनता के साथ गंभीर मारपीट के तहत दर्ज होकर चालान पेश न्यायालय किये जा चुके है। उक्त प्रकरणों में से अवैध तस्करी के 02 प्रकरणों में यह न्यायालय से सजायाब हो चुका है तथा इसके विरूद्ध धारा 41/100 जा0फो0 के तहत भी इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है। इसका आम जनता मे भय एवं आतंक व्याप्त है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधिया निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	237/09	4/25 आर्म्स एक्ट	177/15.04.09	दोषमुक्त 13.04.13 सीजेएम बारॉ
2.	255/10	341, 323 भादस	188/23.04.10	दोषमुक्त 06.01.15 जेएम बारॉ
3.	732/10	19/54 एक्साईज एक्ट	577/30.11.10	सजा/15.12.12 एसीजेएम बारॉ
4.	251/11	19/54 एक्साईज एक्ट	180/09.05.11	सजा/19.09.14 सीजेएम बारॉ
5.	487/11	19/54 एक्साईज एक्ट	357/09.08.11	पेण्डिग कोर्ट
6.	581/12	341, 323, 324, 236, 307, 34 भादस	389/29.09.12	पेण्डिग कोर्ट

7.	140/15	19/54 एक्साईज एक्ट	101/28.03.15	पेण्डिग कोर्ट
8.	307/15	4/25 आर्म्स एक्ट	186/27.05.15	पेण्डिग कोर्ट
9.	731/15	307, 210 बी0 भादस व 3/25 आर्म्स एक्ट	3/11.01.16	पेण्डिग कोर्ट
10.	इस्त0	110 जा0फो0	पेश न्याया0 28.01.16	

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उक्त प्रकरणों में से 19/54 एक्साईज एक्ट के 2 प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत इस्तगासा दिनांक 12.05.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये गिरफ्तारी वारन्ट से तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा थाना बदर होने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारॉ मे वर्ष 2009 से 2015 के मध्य कुल 9 प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में से 19/54 एक्साईज एक्ट के 02 प्रकरणों मे न्यायालय से सजायाब हो चुका है इस सजायाबी आपराधिक रिकार्ड के आधार पर यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक जिला बदर किये जाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मेरे परिवार जन अन्ता मे रहते है, वर्तमान मे मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। जिसमे थाना बदर की कार्यवाही के फलस्वरूप मुझे थाना अन्ता जिला बारॉ (राज.) किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्ध 09 प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली बारॉ में वर्ष 2009 से 2015 के मध्य कुल 9 प्रकरण दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में से अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साईज एक्ट के 02 प्रकरणों में यह न्यायालय से सजायाब हो चुका है। गैरसायल द्वारा उक्त समस्त प्रकरणो मे जुर्म स्वीकार किये गये है तथा माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को सजायाब कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल श्री भारतसिंह उर्फ राजा पुत्र पृथ्वीपाल सिंह निवासी लंका कॉलोनी बारॉ जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 19/54 एक्साईज एक्ट के 2 प्रकरणों मे दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री भारतसिंह उर्फ राजा पुत्र पृथ्वीपालसिंह निवासी लंका कॉलोनी बारॉ जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा धारा 3 (3) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारॉ से 7 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हूँ।

गैरसायल श्री भारतसिंह उर्फ राजा पुत्र पृथ्वीपालसिंह निवासी लंका कॉलोनी बारॉ जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली बारॉ से 7 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ को देगा। इस अवधि मे अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि मे पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी मे भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/— रूपये का स्वंय मुचलका इस अवधि मे नेचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 1.4.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारॉ से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जिला बारॉ के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15.3.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ